भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2676

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में कैंसर देखरेख अवसंरचना

2676. श्री सतनाम सिंह संधू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में कैंसर के मामलों को लेकर कोई आकलन किया है;

(ख) केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत स्थापित तृतीयक कैंसर देखरेख सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब के लिए कैंसर के इलाज और जांच की अतिरिक्त सुविधाएं प्रस्तावित हैं; और

(घ) प्रारम्भिक जांच और वहनीय इलाज को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) के अनुसार, पंजाब में कैंसर के मामलों की अनुमानित व्याप्तता दर का नियमित रूप से आकलन किया जाता है। पंजाब में कैंसर के अनुमानित नए मामलों की संख्या वर्ष 2023 में 41,337, वर्ष 2024 में 42,288 और वर्ष 2025 में 43,196 थी।

(ख) विशिष्ट कैंसर परिचर्या को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार विशिष्ट कैंसर परिचर्या केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन करती है, जिसके अंतर्गत देशभर में 19 राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्रों (टीसीसीसी) को मंजूरी दी गई है। पंजाब में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अमृतसर को राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और सिविल अस्पताल, फाजिल्का को विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र (टीसीसीसी) के रूप में मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, टाटा मेमोरियल सेंटर ने चंडीगढ़ और संगरूर में व्यापक कैंसर परिचर्या अस्पताल स्थापित किए हैं।

(ग) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, अतिरिक्त कैंसर उपचार और निदान केन्द्र स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, संसाधन उपलब्धता की सीमा के अधीन, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। जिला स्तर पर कैंसर परिचर्या की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए देशभर में 524 डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) कार्यरत हैं।

(घ) प्रारंभिक जांच को सुदृढ़ करने के लिए, कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या-आधारित पहल देशभर में शुरू की गई। इस पहल के अंतर्गत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों के सभी स्तरों पर जांच के लिए लक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत, देशभर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए।

सरकार ने प्रारंभिक जांच और किफायती कैंसर उपचार को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, पात्र परिवारों को कैंसर उपचार के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। इस योजना का विस्तार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, आय को देखे बिना, कवरेज प्रदान करने के लिए भी किया गया है।
- उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) पहल के अंतर्गत कैंसर की दवाओं सहित आवश्यक दवाएं, प्रत्यारोपण और सर्जिकल डिस्पोजेबल सामग्री काफी रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत, कैंसर-रोधी दवाओं सहित गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं, देशभर में जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) कई कैंसर-रोधी दवाओं सहित अनुसूचित दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है, ताकि उनकी वहनीयता में सुधार हो और रोगियों के जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके।
- कुछ कैंसर-रोधी दवाओं पर सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी की गई है, ताकि उन्हें अधिक किफायती बनाया जा सके।
- एनएचएम के अंतर्गत, राष्ट्रीय नि:शुल्क औषधि पहल और नि:शुल्क निदान सेवाएं जन स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है। जिला और उप-मंडलीय अस्पतालों की आवश्यक औषधि सूची में कैंसर-रोधी दवाएं शामिल हैं।
